उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2016/13(120)/XXVII(8)/16
दिनांकः: देहरादूनः: 04 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3(क) की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम के अधीन कर का दायी प्रत्येक ब्यौहारी, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट माल की खरीद या बिक्री अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, के कराधेय आवर्त पर निम्न सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगाः–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1	उक्त अधिनियम की किसी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में	01 प्रतिशत

6702
15/10/2016

विधि-आशु

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

Karuna/notification

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016 dated ~~September~~, 2016 for general information.

04 OCTOBER

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016
Dehradun :: Dated: :04 ~~September~~,2016
OCTOBAR

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section **(1)** of section 3(A) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 read with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that every dealar liable to pay tax under the said Act shall pay, in the addition to the tax payable under any other provision of the said Act, an additional tax on the taxable turnover of sale or purchase or both as the case may be on goods specified in Column 2 of the table below at the rates specified in column 3 of the said table with effect from the date of publication of the notification in the Gazette-

Sr. NO.	Description of goods	Rate of tax
1	2	3
1	In respect of goods other than those included in any of the Schedules to the said Act.	01 %

(Amit Singh Negi)
Secretary.

Karuna/notification